



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फ़ैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



File no- CHG/RAP/Lst-55/NGP/38CHG14006

दिनांक -22.12.2022

प्रेषिति

श्री अशोक कुमार साहू
मेसर्स गंगोत्री लाइम्स प्राइवेट लिमिटेड
Ward No.-01, Donde Khurd, P.O. - Dondekala
Tehsil & District-Raipur (C.G.), Pin no.-493111

विषय छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम - मटिया, हसील और जिला - रायपुर, में स्थित आपकी मटिया चूना पत्थर खान (MATIA LIMESTONE MINE)(क्षेत्रफल 12.137 ha) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 10.11.2022 को श्री देबदुर्लभ दाश, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा श्री अशोक कुमार साहू की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	<p>The mining operations are required to be carried out in accordance with the Mining Plan approved, modified or reviewed by Indian Bureau of Mines. However, mining operations have not been observed and carried out in accordance with the Review of Mining Plan approved vide letter no. Raipur/LST/KhYo-1137/2017/Raipur/1017 dated 21/02/2018 for the period from 2018-19 to 2022-23 to the extent indicated below:</p> <p>(i) To explore the ML area, 04 boreholes were approved to be drilled during the year 2018-19. However, against which no exploration has been carried out.</p> <p>(ii) ROM (Run of mine ore) have been stacked along 7.5 m area within & along the lease boundary (safety zone) on eastern side of the lease area between BP 40 to 43 without such proposal.</p> <p>(iii) 7.5 m area within & along the lease boundary (safety zone) was found to be encroached at number of places between BP 9 to 19, 28 to 39, 40 to 43 by excavation without such approval.</p> <p>(iv) Backfilling of waste material proposed in 7.5 m area within & along the lease boundary (safety zone) between E 400 to 600 & N 500 to 300 during the period from 2018-19 to 2021-22 have not been carried out.</p>
55 (1) (c) (i)	Whole time Mining Engineer and Geologist are not appointed as required under this rule.

(2) इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नियम 62 के अंतर्गत खनन अभियंता तथा भूविज्ञानिकों का नियोजन ना करने पर रूपए 5,00,000 का जुर्माना एवं इस नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत।

(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएँ बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर की जा सकती है।

3.अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 11(1) तथा 55 (1)(c) (i) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(प्रेम प्रकाश)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीयखानब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीयखानब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 – Email-
com.cz@ibm.gov.in

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीयखानब्यूरो, रायपुर